

Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202



संख्या: 4945/ MCDR-MiFLOGEN/1/2023-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: /01/2025

प्रेषित: खान एजेंट,

झामरकोटरा रॉक फॉसपेट खान,
मेसर्स आर एस एम एम लिमिटेड,
गाँव: झामरकोटरा, तहसील: गिरवा, जिला: बासंवाड़ा ,
(e-mail:minephos.rsmml@rajasthan.gov.in)

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित आपकी झामरकोटरा रॉक फॉसपेट खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 13/12/2024 and 14/12/2024 by undersign in presence of Sri Durgesh Chandra Joshi,, Mine Manager and Shri Surendra Pratap Singh Jhala, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Review of Mining Plan approved on 07/11/2023 to the extent given below for the year 2023-24: (1) Total of 10 exploratory bore holes with 3426 meters of drilling was carried out against the proposal of 17 exploratory bore holes with 6500 meters of drilling. Resulting shortfall in drilling meters. (2) Overburden/Waste of 4317568CuM was generated against the target of 10153846.16 CuM. (3) Stripping ratio of 1:0.36 T/CuM has been achieved against the target of 1:0.1625 T/CuM.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर